



डॉ. शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ
दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग
उत्तर प्रदेश सरकार
Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University, Lucknow
Department of Divyangjan Empowerment
Government of Uttar Pradesh

प्रेषक,

वित्त अधिकारी
डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ।

सेवा में,

1. कुलपति/अध्यक्ष
डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास
विश्वविद्यालय, लखनऊ।
2. अपर मुख्य सचिव
दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।
3. अपर मुख्य सचिव
वित्त विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।
4. अपर मुख्य सचिव
उच्च शिक्षा विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।
5. निदेशक
दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. कुलसचिव
डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास
विश्वविद्यालय, लखनऊ।
7. वित्त अधिकारी
डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास
विश्वविद्यालय, लखनऊ।

पत्रांक: 115 / पत्रा.सं.-57 / बै०वि०समिति / 2020-21 लखनऊ दिनांक 18 अप्रैल, 2022

विषय: डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ की वित्त समिति की 26वीं बैठक दिनांक 06.04.2022 के कार्यवृत्त प्रेषण के संबंध में।

महोदय,

डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ की वित्त समिति की दिनांक 06.04.2022 को सम्पन्न 26वीं बैठक के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न कर अवलोकनार्थ प्रेषित है।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

(संजय सिंह)
वित्त अधिकारी

डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ

के वित्त समिति की

छब्बीसवीं बैठक दिनांक: 06.04.2022 का कार्यवृत्त

समय -	पूर्वाह्न: 11:00 बजे
स्थान -	पंचम तल स्थित सभागार डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।

उपरोक्त कार्यक्रमानुसार विश्वविद्यालय की वित्त समिति की छब्बीसवीं बैठक विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में सदस्यों की उपस्थिति संलग्नक के अनुसार रही।

बैठक में विभिन्न एजेण्डा बिन्दुओं पर विस्तृत विचार-विमर्श के उपरान्त निम्नानुसार निर्णय लिये गये:-

एजेण्डा बिन्दु सं०	कार्यवाही
1/25	दिनांक 20.10.2021 को सम्पन्न वित्त समिति की पच्चीसवीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि। निर्णय:-वित्त समिति द्वारा दिनांक 20.10.2021 को सम्पन्न हुई 25वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।
2/25	दिनांक 20.10.2021 को सम्पन्न वित्त समिति की पच्चीसवीं बैठक में लिए गए निर्णयों की अनुपालन आख्या। निर्णय:-वित्त समिति द्वारा उपरोक्त बैठक में लिए गए निर्णयों की अनुपालन आख्या का अवलोकन करते हुए अनुमोदन प्रदान किया गया।
3/25	वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु वेतन, गैर वेतन, निजी स्रोतों से प्राप्तियों के सापेक्ष किये जाने वाले व्ययों, बी.टेक. तथा कृत्रिम अंग एवं पुनर्वास केन्द्र के संचालन हेतु तैयार किये गये आय-व्यय अनुमान पर अनुमोदन के सम्बन्ध में।
	समिति को अवगत कराया गया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु अनुदान सं०-79 के लेखाशीर्षक 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-101-विकलांग व्यक्तियों का कल्याण-30-डॉ० शकुन्तला मिश्रा उ०प्र० विश्वविद्यालय के अन्तर्गत शासन द्वारा मानक मद संख्या-31 सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) मद में धनराशि ₹० 2332.00 लाख एवं मानक मद संख्या-20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर-वेतन) मद में धनराशि ₹० 1000.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया है। इसी क्रम में समिति को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में वर्तमान में 29 विभाग क्रियाशील है, जिसके अन्तर्गत शैक्षिक संवर्ग के 81 एवं गैर शैक्षिक संवर्ग के 78 कार्मिक कार्यरत हैं। इसी क्रम में वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु शैक्षिक एवं गैर शैक्षिक संवर्ग के कार्मिकों के वेतन का भुगतान कराने हेतु वेतन मद में धनराशि ₹० 3000.00 लाख तथा गैर

(Sanjay Singh)
Finance Officer

Dr. Sh...

(प्रो० राणा कृष्ण पाल सिंह)

डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास
विश्वविद्यालय, लखनऊ

वेतन मद में धनराशि ₹0 1295.00 लाख का प्राविधान कराने हेतु उ0प्र0 शासन से माँग की जा रही है। उक्त के अतिरिक्त कृत्रिम अंग एवं पुनर्वास केन्द्र के संचालन संबंधी नैतिक कार्यों हेतु धनराशि ₹0 400.00 लाख तथा विशिष्ट स्टेडियम के संचालन संबंधी नैतिक कार्यों यथा-कार्यालय व्यय, विद्युत व्यवस्था, साफ-सफाई, खेलकूद सामग्री, सामग्री सम्पूर्ति, प्रयोगशाला/उपकरण संबंधी क्रय, सेवा प्रदाता एजेन्सी को भुगतान तथा उपकरणों के अनुरक्षण तथा विभिन्न प्रकार के खेलों की ट्रेनिंग आदि के लिए गैर वेतन मद में धनराशि ₹0 400.00 लाख की माँग उ0प्र0 शासन से की गयी है। समिति के मा0 सदस्य द्वारा केन्द्रीय पुस्तकालय हेतु उपकरण क्रय किये जाने के लिए धनराशि ₹0 100.00 लाख एवं केन्द्रीय पुस्तकालय के विभिन्न कार्यों, पुस्तकों आदि के क्रय/संचालन कार्य हेतु धनराशि ₹0 100.00 लाख की व्यवस्था बजट में कराने के निर्देश प्रदान किये गये।

निर्णय:-वित्त समिति द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु विश्वविद्यालय प्रयोगार्थ वेतन एवं गैर वेतन की मदों में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष, निजी स्रोतों से प्राप्तियों के सापेक्ष किये जाने वाले व्ययों के अन्तर्गत धनराशि ₹0 926.00 लाख, बी.टेक. पाठ्यक्रम हेतु धनराशि ₹0 307.00 लाख तथा कृत्रिम अंग एवं पुनर्वास केन्द्र के संचालन हेतु धनराशि ₹0 350.00 लाख के आय-व्यय अनुमान पर अनुमोदन प्रदान करते हुए कुलपति (अध्यक्ष) महोदय द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में स्थापित शिक्षक आवास, बाउण्ड्रीवाल के अनुरक्षण एवं अन्य समस्त स्थानों को चिन्हित करते हुए वृहद रूप में अनुरक्षण कार्यों को तत्काल पूर्ण कराने के निर्देश प्रदान किये गये।

4/25 वित्तीय वर्ष 2020-21 के तुलनपत्र पर अनुमोदन के सम्बन्ध में।

वित्त समिति के मा0 सदस्यों के समक्ष वित्तीय वर्ष 2020-21 के तुलनपत्र को अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति के मा0 सदस्यों को तुलनपत्र में उल्लिखित आय-व्यय परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों के सम्बन्ध में विस्तृत रूप से अवगत कराया गया। विश्वविद्यालय के विभिन्न खातों में उपलब्ध बचत खातों में उपलब्ध धनराशि एवं एफ.डी. के रूप में उपलब्ध धनराशि के विषय में समिति को सदस्यों द्वारा विस्तृत चर्चा की गयी।

निर्णय:-वित्त समिति के मा0 सदस्यों द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 के तुलनपत्र के मुख्य अंशों यथा-विश्वविद्यालय की आय, व्ययों, परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों पर आदि वा विस्तृत चर्चा करने के उपरान्त तुलनपत्र पर वांछित अनुमोदन प्रदान करते हुए विश्वविद्यालय के विभिन्न बचत खातों में उपलब्ध धनराशि से एक वर्ष एवं एक दिन के आधार पर राष्ट्रीयकृत बैंकों में एफ.डी. कराने के निर्देश प्रदान किये गये।

5/25 विश्वविद्यालय के स्वामी विवेकानन्द केन्द्रीय पुस्तकालय के प्रयोगार्थ 123 डेस्कटाप कम्प्यूटर (यू.पी.एस.सहित), 01 फोटोकॉपियर, 04 प्रिन्टर तथा 05 प्रोजेक्टरों को क्रय किये जाने के सम्बन्ध में।

वित्त समिति को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय के स्वामी विवेकानन्द केन्द्रीय पुस्तकालय की स्थापना दिनांक 16 अक्टूबर 2018 में हुई है विश्वविद्यालय के स्वामी विवेकानन्द केन्द्रीय पुस्तकालय बेसमेन्ट, भू-तल, प्रथम तल, द्वितीय तल एवं तृतीय तल तक विस्तारित है, जो निरन्तर उन्नति की ओर अग्रसर है। वर्तमान में अध्यापकों, विद्यार्थियों एवं शोधार्थियों को दी जाने वाली पुस्तकालय से सम्बन्धित सुविधायें अत्यन्त सीमित हैं। स्वामी विवेकानन्द केन्द्रीय पुस्तकालय को अत्याधुनिक एकीकृत पुस्तकालय के रूप में विकसित एवं सुविधा सम्पन्न किये जाने हेतु पुस्तकालय प्रबन्धन से सम्बन्धित सुविधायें एवं कम्प्यूटर लैब में 123 डेस्कटाप कम्प्यूटर (यू.पी.एस.सहित), 01 फोटोकॉपियर, 04 प्रिन्टर तथा 05 प्रोजेक्टरों को स्थापित करने की अत्यन्त आवश्यकता है, जिस हेतु कुल धनराशि ₹0 80.00 लाख का व्यय किये जाने की संभावना है।

निर्णय:-वित्त समिति द्वारा स्वामी विवेकानन्द केन्द्रीय पुस्तकालय के प्रयोगार्थ 123 डेस्कटाप कम्प्यूटर (यू.पी.एस.सहित), 01 फोटोकॉपियर, 04 प्रिन्टर तथा 05 प्रोजेक्टरों को क्रय किये जाने हेतु सम्यक् विचारोपरान्त उच्च गुणवत्ता एवं नवीनतम स्पेशीफिकेशन्स के उपरोक्त आवश्यक

	उपकरणों को क्रय किये जाने हेतु कुल अनुमानित धनराशि रू0 100.00 लाख पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
6/26	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिन्दु।
(1)	विश्वविद्यालय का नवीन गेस्ट हाउस (अतिथि गृह) निर्मित कराये जाने के सम्बन्ध में। वित्त समिति को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में समय-समय पर आयोजित होने वाली बैठक/कार्यक्रम/सेमिनार/कार्यशाला में आमंत्रित सदस्यों, अतिथियों, बाह्य विशेषज्ञों एवं विशिष्टजन आदि हेतु विश्वविद्यालय परिसर में 10 कक्ष का गेस्ट हाउस (अतिथि गृह) एवं 02 कक्ष का वी0आई0पी0 गेस्ट हाउस के निर्माण कार्य हेतु उक्त प्रस्ताव को वित्त समिति की 25 वीं बैठक में दिनांक 21.10.21 को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया था, जिस पर वित्त समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। वित्त समिति द्वारा प्रदत्त अनुमोदन में परियोजना प्रबन्धक, यूनिट-26 कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, लखनऊ द्वारा धनराशि रू0 4.83 करोड़ का आगणन उपलब्ध कराते हुए प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया गया। निर्णय:- वित्त समिति द्वारा उपर्युक्त प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त करते हुए अग्रिम कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये।
(2)	विश्वविद्यालय को ग्राम-अलीनगर सुनहरा, परगना-बिजनौर, तहसील-सरोजनी नगर में आवंटित 5.768 हेक्टेयर भूमि पर बाउण्ड्रीवाल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में। वित्त समिति को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय की ग्राम-अलीनगर सुनहरा, परगना-बिजनौर, तहसील-सरोजनीनगर में आवंटित 5.768 हेक्टेयर भूमि पर बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य कराये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को वित्त समिति की 21 वीं बैठक दिनांक 02.06.20 को बिन्दु सं0-10/21 पर अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया था, जिस पर वित्त समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया। इसी क्रम में विश्वविद्यालय की उक्त ग्राम-अलीनगर सुनहरा, परगना-बिजनौर, तहसील-सरोजनी नगर में आवंटित 5.768 हेक्टेयर भूमि पर बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य कराने सम्बन्धी प्रस्ताव को दिनांक 02.04.22 को भवन विकास समिति (Building Development Committee) के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया, जिस पर भवन विकास समिति द्वारा अनुमोदन करते हुए कार्यदायी संस्था से आगणन प्राप्त होने पर बाउण्ड्रीवाल निर्माण नियमानुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये। निर्णय:- वित्त समिति द्वारा उपर्युक्त प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त करते हुए कार्यदायी संस्था से आगणन प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये।
(3)	अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान हेतु पृथक से भवन निर्मित कराये जाने के सम्बन्ध में। समिति को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में शैक्षिक सत्र 2016-17 से स्व वित्त पोषित पाठ्यक्रम बी.टेक. का संचालन किया जा रहा है। बी.टेक. पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि के दृष्टिगत रखते हुए उक्त पाठ्यक्रमों के सफल संचालन हेतु स्व वित्तपोषित पाठ्यक्रम से प्राप्त आय से पृथक से एक नवीन भवन निर्माण कार्य कराये जाने हेतु उक्त प्रस्ताव को भवन विकास समिति (Building Development Committee) की दिनांक 02.04.22 को आहूत बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया, जिस पर भवन

	विकास समिति द्वारा अनुमोदन किया गया है।
	निर्णय:-वित्त समिति द्वारा उपर्युक्त प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त करते हुए कार्यदायी संस्था से आगणन प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये।
(4)	विश्वविद्यालय के आवासीय परिसर के पीछे अनिर्मित भूमि पर लम्बाई 1544 मीटर एवं उँचाई 3.3 मीटर लगभग की बाउण्ड्रीवाल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में। समिति को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय आवासीय परिसर के पीछे विश्वविद्यालय की अनिर्मित भूमि पर कुल लम्बाई 1544 मीटर एवं उँचाई 3.3 मीटर बाउण्ड्रीवाल के निर्माण कार्य को किसी एक कार्यदायी संस्था से प्राप्त आगणन के क्रम में कराये जाने हेतु भवन विकास समिति (Building Development द्वारा अनुमोदन किया गया है। इसी क्रम में कार्यदायी संस्था से आगणन प्राप्त होने पर बाउण्ड्रीवाल निर्माण सम्बन्धी कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
	निर्णय:-वित्त समिति द्वारा उपर्युक्त प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त करते हुए कार्यदायी संस्था से आगणन प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये।

अन्त में वित्त समिति की बैठक का समापन सधन्यवाद किया गया।



(Sanjay Singh)
Finance Officer
Dr. Shakuntala Misra National
Rehabilitation University



(प्रो० राणा कृष्ण पाल सिंह)
कुलपति
डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास
विश्वविद्यालय, लखनऊ

